

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- मूल चन्द आर.ए.एस.


अपील संख्या 2017/00020 (14/2017) 223 आरटीएक्ट

श्रीमति तुलछीदेवी धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जाति जाट निवासी चक 3 एसएनजी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

-अपीलार्थीया

बनाम


1. भोलासिंह उर्फ माला सिंह उर्फ मूलसिंह } पिसरान धीरसिंह उर्फ रणधीर सिंह उर्फ
2. बलविन्द्रसिंह उर्फ बलजिन्द्रसिंह } बलधीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह जाति
- जट सिख निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
3. स्वर्णसिंह } पिसरान श्री भोलासिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां,
4. जगविन्द्र सिंह } तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
5. सुखवेन्द्र सिंह }
6. बलकरण सिंह } पिसरान श्री बलविन्द्रसिंह }
7. गुरसेवक सिंह }
8. धीरसिंह उर्फ रणधीरसिंह उर्फ बलधीरसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र अरजनसिंह जाति
- जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. आत्मासिंह पुत्र अरजनसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया, जिला
- हनुमानगढ़।
10. हरबंस सिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, तहसील संगरिया
- जिला हनुमानगढ़।
11. राजबंस सिंह } पिसरान श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख
12. हरविन्द्र सिंह } निवासी ढाबां, तहसील संगरिया,
13. लखा सिंह उर्फ लखविन्द्र सिंह } जिला हनुमानगढ़।
14. साहबराम } पिसरान श्री मनीराम } जाति जाट निवासीगण ढाबां, तहसील
15. ओमप्रकाश } संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
16. कृष्ण कृमार पुत्र देवीलाल पुत्र श्री श्योकरण }
17. अमित पुत्र श्री दलीप पुत्र श्री खुमाणा }
18. नत्थूराम पुत्र बख्तावर पुत्र श्री अमीचन्द }
19. गुरदीपसिंह उर्फ दलीप सिंह } पिसरान नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी
20. नौरंग सिंह } ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री खण्डासिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया
- जिला हनुमानगढ़।
22. दर्शन सिंह } पिसरान श्री गरदेव सिंह } जाति जटसिख निवासी ढाबां
23. सरजीत सिंह } तहसील संगरिया जिला
24. अमरजीत सिंह पिसरान श्री करतार सिंह } हनुमानगढ़।


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

25. मेजर सिंह पिसरान श्री करतार सिंह } जाति जटसिख निवासीगण
 26. बलवन्त कौर पत्नी अजायब सिंह }
 27. गुरदेव सिंह } पिसरान श्री मुन्शी सिंह
 28. अजायब सिंह }
 29. दलीप कौर पत्नी नायब सिंह }
 30. छिन्द्र कौर } पुत्रियां नायब सिंह
 31. सयाणी }
 32. करनी सिंह } पिसरान हरिसिंह जाति राजपूत निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया
 33. सतवीर सिंह } जिला हनुमानगढ़।
 34. मन्जूर मोहम्मद } पिसरान शान मोहम्मद जाति राठ झोरड़ निवासीगण ढाबां, तहसील
 35. अफसर } संगरिया जिला हनुमानगढ़।
 36. सुखदेव सिंह } पिसरान मुखत्यार सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील
 37. दर्शन सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ़।
 38. मन्दर सिंह }
 39. लाभ सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह }
 40. सुशील कुमार } पिसरान बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां, तहसील संगरिया,
 41. इन्द्रजीत } जिला हनुमानगढ़।
 42. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां,
 43. भूपेन्द्र सिंह } पिसरान श्री बलधीर सिंह } तहसील संगरिया, जिला
 44. रविन्द्र सिंह } हनुमानगढ़।
 45. इन्द्रजीत कौर पत्नी बलधीर सिंह सत्यमेव जयते
 46. रणधीर सिंह } पिसरान श्री मलसिंह जाति जटसिख निवासीगण ढाबां,
 47. रणवीर सिंह } तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
 48. सुखवीर सिंह }
 49. जसवीर सिंह }
 50. रघुवीर सिंह }
 51. गुरनेम सिंह पुत्र बग्गू सिंह } जाति जटसिख निवासीगण
 52. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री कुण्डा सिंह } ढाबां, तहसील संगरिया,
 53. दयाल सिंह पुत्र कुण्डा सिंह } जिला हनुमानगढ़।
 54. निका सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह }
 55. मदन सिंह } पिसरान श्री गुरदेव सिंह
 56. जसविन्द्र सिंह }
 57. बलविन्द्र कौर } पुत्रियां श्री गुरदेव सिंह
 58. रानी }
 59. मुखत्यार कौर पत्नी गुरदेव सिंह }
 60. शेर सिंह पुत्र गजन सिंह }
 61. सजन सिंह } पिसरान श्री नारायण
 62. चन्द सिंह }



63. जोरा सिंह पिसरान श्री नारायण } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां, तहसील
 64. करतार कौर पत्नी गुरनाम सिंह } संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
 65. छोटी } पुत्रियां गुरनाम सिंह
 66. भूरो }
 67. पाल सिंह } पिसरान श्री आत्मासिंह जाति जटसिख
 68. अमरजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह } निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया,
 69. गुरजीत सिंह } जिला हनुमानगढ़।
 70. गुरपाल सिंह
 71. जसपाल सिंह
 72. चेत सिंह } पिसरान श्री सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासीगण
 73. निधान सिंह } ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
 74. रणजीत सिंह
 75. अजायब सिंह }
 76. दलीप कौर पत्नी नायब सिंह जाति नाई
 77. सुखमन्द्र सिंह पुत्र दलबारा सिंह जाति नाई
 78. प्रवीर पुत्र श्री जोतराम पुत्र श्री सूरजमल जाति महाजन निवासीगण ढाबां तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ़
 79. अशोक कुमार पुत्र ख्यालीराम } जाति जाट, निवासीगण ढाबां,
 80. राजराम उर्फ बाबूराम पुत्र नानकचन्द } तहसील संगरिया, जिला
 81. औमप्रकाश पुत्र श्री रिखीराम } हनुमानगढ़।
 82. साहबराम पुत्र श्री फता
 83. मुखराम पुत्र श्री चेतन
 84. ख्याली } पिसरान बस्तीराम
 85. अरजन }
 86. कृष्ण पुत्र श्री गणपत पुत्र श्री बस्तीराम
 87. संदीप कुमार पुत्र श्री सुरजा पुत्र श्री बस्तीराम जाति जाट निवासी चक 2 आरटीपी
 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
 88. बचेत कोर पत्नी श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, तहसील संगरिया
 जिला हनुमानगढ़।
 89. दौलतराम } पिसरान श्री जालूराम जाति जाट निवासीगण ढाबां, तहसील
 90. पृथ्वी सिंह } संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
 91. जीत सिंह }
 92. औम प्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
 हनुमानगढ़।
 93. गुरदत सिंह } पिसरान मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील
 94. मंगल सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ़।
 95. अंग्रेज सिंह }



सत्यमेव जयते




 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

96. हरबंस सिंह पिसरान अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
97. जसवन्त सिंह पिसरान अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
98. हाकम सिंह } पिसरान इन्द्र सिंह } जाति नाई, निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
99. बृजा सिंह } }
100. मेहमा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह }
101. साधु सिंह पुत्र सज्जन सिंह }
102. सज्जन सिंह पुत्र श्री शंकर }
103. दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह }
104. जंगीर कौर पत्नी मुकन्द सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
105. बन्ता सिंह } पिसरान श्री मुकन्द सिंह }
106. सरवन सिंह } }
107. दिलबाग सिंह पुत्र करनैल सिंह }
108. अजायब सिंह } पिसरान श्री जमीत सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
109. नायब सिंह } }
110. मोहन सिंह } पिसरान श्री अजमेर सिंह }
111. सोहन सिंह } }
112. चन्द सिंह } }
113. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जयसिंह }
114. इन्द्राज पुत्र बीरबल } जाति जाट निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
115. महावीर पुत्र नन्दराम } पिसरान श्री नन्दराम }
116. राजेन्द्र कुमार } पिसरान श्री नन्दराम }
117. कृष्ण कुमार } }
118. मोदन सिंह } पिसरान दौलता जाति जाट निवासी ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
119. रामचन्द्र } जिला हनुमानगढ़।
120. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
121. खेतासिंह } पिसरान हरनाम सिंह जाति जाट निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
122. रामप्रताप } संगरिया जिला हनुमानगढ़।
123. बृजा उर्फ बृजलाल } पिसरान श्री बुटाराम जाति जाट निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
124. रामलाल } }
125. फूलचन्द } }
126. भादर } }
127. हरदयाल } }
128. कमला पत्नी मनफूल उर्फ फूलचन्द } जाति जाट निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
129. बग्गू पुत्र श्री पन्ना } तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
130. बुधराम पुत्र श्री पेमा } हनुमानगढ़।



सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी

131. रविन्द्र कुमार पुत्र अन्तराम जाति जाट निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
132. काशीराम पुत्र श्री चन्द्रराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
133. कौशल्या देवी पत्नी साहबराम जाति महाजन निवासी बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा
134. महेन्द्र } पिसरान श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां
135. जगेन्द्र सिंह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
136. सोहन लाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
137. विनोद कुमार } पिसरान महेन्द्र कुमार } जाति जाट निवासी ढाबां,
138. प्रमोद कुमार } तहसील संगरिया, जिला
139. सावित्री देवी पत्नी महेन्द्र कुमार } हनुमानगढ़।
140. शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
141. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
142. शान मोहम्मद पुत्र श्री सुलेमान जाति मुसलमान निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।



—रेस्पोजेण्ट्स

विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.04.2008 व डिक्री दिनांक 25.04.2008 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 107/2007 बअनवानी भोला सिंह आदि बनाम धीर सिंह आदि।

उपस्थित:—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:— 09.05.2019

1. रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ता 7 /वादीगण ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व संगरिया के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया। वादपत्र में वाद पत्र की मद संख्या 9 क से व के अनुसार घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री कर काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील चक 2 बीजीपी तहसील संगरिया के खाता संख्या


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

33/29 की पत्थर नम्बर 217/143 (22) किला नं. 1 व 10 की सीमा तक निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने मूल खातेदार हरबंस सिंह पुत्र. मुख्तार सिंह प्रतिवादी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 0.835 है. भूमि खरीद की थी एवं इन्तकाल नं. 277 के द्वारा इतनी भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज थी। मु. नं. 22 के किला नं. 1 की 0.038 है. भूमि पश्चिमी तरफ एवं किला नं. 10 में 0.038 है. पश्चिमी तरफ व मु. नं. 21 के किला नं. 3 से 5 की भूमि कुल 0.835 है. अपीलान्ट के कब्जा में है। परन्तु रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 व 7 ने मु. नं. 22 के किला नं. 1 व 10 पर कथित किसी घरू बंटवारा के अनुसार उनका कब्जा काश्त होने के तथ्य को किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया। अपीलान्ट निर्णय से विधि विरुद्ध तरीके से उक्त भूमि की उद्घोषणा प्राप्त कर ली है। खाता संख्या 33/29 में 2.099 है. भूमि में रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 से 7 की कोई हिस्सा कसी दर्ज नहीं थी। इसलिए अपीलान्ट निर्णय खाता संख्या 33/29 के प. नं. 217/143 किला नं. 1 ता 10 की सीमा तक निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलान्ट ने अपील में यह कथन किये हैं कि उसके कब्जा काश्त में चक 2 बीजीपी के खाता संख्या 33/29 के पं. नं. 216/143 मु. नं. 21 किला नं. 3 से 5 व पत्थर नं. 217/143 मु. नं. 22 के किला नं. 1 में 0.038, किला नं. 10 की 0.038, पश्चिमी हिस्सा की कुल 0.835 है. भूमि उसकी खरीदशुदा है एवं उसके कब्जे काश्त में है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल हो चुका है। अपीलान्ट ने अपील में 0.835 है. भूमि का बैयनामा प्रस्तुत किया है एवं उस आधार पर अभिलेख में इन्तकाल नं. 270 दिनांक 20.04.2004 की प्रविष्टि की जमाबन्दी चक 2 बीजीपी भी प्रस्तुत की है। परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने अपने कथन विचारण न्यायालय में उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया जिसमे 2 बीजीपी, 9 बीजीपी, 6 बीजीपी और 5 बीजीपी की लगभग 500 बीघा भूमि पर घोषणा व विभाजन का दावा किया था। वाद में अधिकांश प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं जो प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 उपस्थित हुए के मुताबिक काउण्टर क्लेम डिक्री किया। वादी का वाद एवं काउण्टर क्लेम इस आधार पर डिक्री किया गया कि इसका किसी ने विरोध नहीं किया। इस तथ्य को भी नहीं देखा गया कि किन दस्तावेजात के आधार पर दावा प्रमाणित है। किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं कराया गया। यहां तक कि अधिकांश दस्तावेजात जो शामिल हैं वे फोटा प्रति के रूप में शामिल हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि भी जो शामिल पत्रावली है उसको भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। दावा व काउण्टर क्लेम किस दस्तावेज से सिद्ध है इसका कोई अंकन नहीं किया गया है। वादीगण का वाद अथवा काउण्टर क्लेम के संबंध में किस आधार पर उनका हक



राजस्व अपील प्राधिकाारी

माना गया किन आधारों से उनका विशेष भू भाग पर कब्जा माना गया है इसका भी कोई अंकन नहीं किया है। विभाजन के दावा में सबसे पहले पक्षकारों के हिस्से की घोषणा होती है तत्पश्चात् प्रथमिक डिक्री जारी कर मौके की स्थिति के लिए तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाते हैं। उपरोक्त कार्यवाही भी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। वादी का वाद एवं काउण्टर क्लेम सरसरी तौर पर केवल विरोध नहीं होने एवं सहमति के जवाब का हवाला देते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की तरह अन्य पक्षकारों के हितों का भी हनन होना संभावित है। विभाजन के दावे में वांछित प्रक्रिया की कतई प्रक्रिया की पालना नहीं किया गया है जो हास्यास्पद है। उपरोक्त परिस्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी समरिया निर्णय दिनांक 19.04.2008 व डिक्री दिनांक 25.04.2008 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारों के हितों की घोषणा करते हुए पुनः सुनकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त तैयार कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएस)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़